म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/विविध/भा.भु.यो./2017/06/3715 भोपाल, दिनांक 03.04.2019

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन् बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय ..... (समस्त)।

2. नोडल अधिकारी/सचिव, (समस्त)
   कृषि उपज मण्डी समिति,
   ..... जिला .....

विषयः— भारत सरकार की प्राईज सपोर्ट स्कीम (PSS) के अन्तर्गत रबी वर्ष 2018—19 में चना, मसूर एवं सरसो की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु आगामी कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः— अवर सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का ज्ञाप कमांक बी—16—01/2019/14—2 दिनांक 15 मार्च 2019 एवं 29 मार्च 2019

संदर्भित ज्ञाप अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्राईज सपोर्ट स्कीम (PSS) के अन्तर्गत रबी वर्ष 2018—19 में चना, मसूर एवं सरसो की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये है :—

1. पूर्व में पंजीयन हेतु नियत अवधि दिनांक 09.03.2019 से बढ़ाकर 14.03.2019 की गई है।

2. योजना अन्तर्गत रबी वर्ष 2018—19 में चना, मसूर एवं सरसो के उपार्जन हेतु पंजीकृत किसानों के खाद्य विभाग के ई—पोर्टल पर डाटा का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा।

3. योजना अन्तर्गत रबी वर्ष 2018—19 में चना, मसूर एवं सरसो के उपार्जन दिनांक 25.03.2019 से 31.05.2019 तक किया जावेगा इस हेतु भारत सरकार द्वारा नियत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ संदर्भित पत्र के बिन्दु कमांक 04 में प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता नियत की गई है।

4. रबी वर्ष 2018—19 की चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश की 257 मण्डियों/गोदामों में उपार्जन केन्द्र बनाये जायेगे इस हेतु व्यवस्थित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सुलभ संदर्भ एवं अन्य आवश्यक निर्देश/कार्यवाही के संबंध में संदर्भित पत्र की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Scanned by CamScanner

कमांक / विविध / भा.भु.यो. / 2017 / 06 /3716 भोपाल, दिनांक 03.04.2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. कलेक्टर (समस्त), जिला .....

प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/बी-16-01/2019/14-2 भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषयः- भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु पूर्व जारी निर्देशों के क्रम में आगामी कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः- 1.विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.02.2019 एवं दिनांक 06.03.2019.
2.भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र F.No.L-15016/12/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019, पत्र F.No.L-15016/11/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019 एवं पत्र F.No.L-15016/13/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019 जिनके माध्यम से चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन लक्ष्य प्रदान किए गए।

---00---

भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2019 व्दारा उपार्जन/खरीदी लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। योजनांतर्गत कृषकों के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन हेतु विभागीय समसंमख्यक पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2019 एवं 06 मार्च, 2019 आदेश जारी किए गए थे। उपरोक्त पत्रों के तदानुक्रम में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:-

1. भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषकों के निःशुल्क पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.02.2019 जारी किया गया। पंजीयन अवधि को 09.03.2019 से बढ़ाकर 14.03.2019 तक किए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 06.03.2019 जारी किया गया। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
2. खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर योजनांतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु पंजीकृत कृषकों के डाटा का सत्यापन राजस्व विभाग व्दारा 23.03.2019 तक किया जाए।
3. भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन, गेहूँ उपार्जन की नियत अवधि यथा 25.03.2019 से

Scanned by CamScanner

24.05.2019 में किया जाए। योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र F.No.L-15016/12/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019 के माध्यम से चना की 11,48,750 मे.टन, पत्र F.No.L-15016/11/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019 के माध्यम से मसूर की 1,69,750 मे.टन एवं पत्र F.No.L-15016/13/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019 के माध्यम से सरसों की 2,44,000 मे.टन की अधिकतम मात्रा हेतु उपार्जन लक्ष्य नियत किए गए हैं। तदानुसार भारत सरकार व्दारा नियत लक्ष्य सीमा में उपार्जन किया जाए।

4. प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 पूर्व में निर्धारित उत्पादकता - चना की औसत उत्पादकता रायसेन एवं विदिशा जिलों के लिए 17 क्विंटल प्रति हेक्ट., सीहोर के लिए 18 क्विंटल प्रति हेक्ट., नरसिंहपुर एवं छिंदवाडा के लिए 19 क्विंटल प्रति हेक्ट. तथा शेष 46 जिलों में 15 क्विंटल प्रति हेक्ट. नियत की गई थी। संपूर्ण प्रदेश के लिए मसूर की 11 क्विंटल प्रति हेक्ट. एवं सरसों की 13 क्विंटल प्रति हेक्ट. औसत उत्पादकता नियत की गई थी। उक्तानुसार उत्पादकता अनुसार ही रबी वर्ष 2018-19 में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन किया जाए।

5. रबी वर्ष 2018-19 (रबी विपणन मौसम 2019-20) की चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों/गोदामों में प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत उपार्जन केन्द्र बनाये जाए। योजनान्तर्गत पूर्व के अनुभवों, भंडारण, परिवहन कार्य में समय, एवं भारत सरकार द्वारा प्रावधानित राशि में कार्य व्यवस्थित रूप में पूर्ण किए जाने के लिए मंडियों एवं गोदाम परिसर में उपार्जन केन्द्रों को बनाया जाए।

6. वित्त विभाग की सहमति अनुसार भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन पूरी तरह भारत सरकार की गाईडलाईन एवं मापदंडों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाए।

7. प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन राज्य उपार्जन एजेन्सियों यथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ एवं एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा खाद्य विभाग के अभिमत अनुसार रबी विपणन मौसम 2019-20 में समर्थन मूल्य पर चना, सरसों एवं मसूर के उपार्जन के लिए जिलेवार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन व्दारा भोपाल, ग्वालियर, चंबल एवं नर्मदापुरम् संभाग के समस्त जिले तथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) व्दारा जबलपुर, रीवा, शहडोल, इन्दौर, उज्जैन एवं सागर संभाग के समस्त जिलों में उपार्जन किया जाए।

8. चना मसूर एवं सरसों उपार्जन व्यवस्था के अन्तर्गत खरीदी मात्रा के उपार्जन केन्द्र से भण्डारण केन्द्र तक के परिवहन हेतु विपणन संघ/एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के गेहूं के रबी विपणन वर्ष 2019-20 के अधिकृत परिवहनकर्ताओं या संबंधित जिले में रबी सीजन 2019-20 की दर पर ही कलेक्टर द्वारा अन्य परिवहनकर्ताओं से यह कार्य कराया जा सकेगा।

15/3/19

Scanned by CamScanner

9. शासन स्तर पर आहुत बैठकों में हुये निर्णयानुसार चना, मसूर एवं सरसों की उपार्जित मात्रा को भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर नेफेड, एफ.सी.आई. एवं एस.एफ.ए.सी. द्वारा क्रय किया जाना है एवं खरीदी गई उपज को एम.पी. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन तथा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की गोदामों में संबंधित एजेन्सी के खाते में भण्डारित किया जाए।
10. प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीदी में समस्त उपार्जन, परिवहन, भण्डारण, विक्रय आदि पर राज्य डयूटीस एवं करों से छूट प्रदान किए जाने की अनिवार्यता उल्लेखित है। उक्त के तारतम्य में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन की स्थिति में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम गाईडलाईन्स के प्रावधानों के क्रम में मंडी शुल्क से छूट प्रदान की जाए।
11. योजना अन्तर्गत प्रदेश में 25 प्रतिशत उत्पादन अथवा भारत सरकार व्दारा नियत लक्ष्य की कीमत के 15 प्रतिशत के मान से रिवॉल्विंग फण्ड रूपये 1200 करोड़ का बनाए जाने हेतु राज्य उपार्जन संस्थाओं यथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को उनके विधिवत प्रस्ताव पर उपार्जित की जाने वाली मात्रा के अनुपात में बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य की गारंटी 3 माह की अवधि हेतु वित्त विभाग के अभिमत अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
12. खरीदी कार्य हेतु बारदाना की सम्पूर्ण व्यवस्था राज्य उपार्जन एजेन्सियों एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नेफेड के माध्यम से की जाए। उक्त मद में प्रतिपूर्ति नेफेड, एफ.सी.आई. एवं एस.एफ.ए.सी. आदि एजेन्सियों द्वारा की जाएगी।
13. भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार ही भारत सरकार व्दारा नियत लक्ष्य की सीमा में फेअरएवरेज क्वालिटी गुणवत्ता का उपार्जन किया जाए। फेअरएवरेज क्वालिटी गुणवत्ता का उपार्जन न होने अथवा लक्ष्य से अधिक उपार्जन किये जाने पर संबंधित संस्था के विरूद्ध कार्यवाही एवं ऐसे स्कंध को स्वीकार नहीं किया जावे।
14. भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम योजनांतर्गत गाइडलाइन अनुसार जिला स्तर पर मानीटरिंग हेतु जिला स्तर पर गेहूँ उपार्जन के लिए खाद्य, उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा ही इन फसलों के उपार्जन कार्य की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा कर जिले में योजना का सुचारू संचालन, प्रगति, किसानों को भुगतान, योजना से संबंधित विवाद एवं इनका निराकरण, राज्य शासन को योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुशंसाएं भेजने एवं राज्य शासन द्वारा निर्देशित कार्यवाही इत्यादि के कार्य सुनिश्चित किये जाएं ।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

15/3/18

(जितेन्द्र सिंह परिहार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक/ बी–16/01/2019/14–2 भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2019

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल को मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाने हेतु प्रेषित ।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश जारी किए जाने तथा ई–उपार्जन पर आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रेषित।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उदयानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, भोपाल को योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित ।
14. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल ।
15. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफेड, नई दिल्ली।
16. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
17. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
18. आयुक्त, भू–अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र.।
19. आयुक्त संस्थागत वित्त म.प्र. भोपाल।
20. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने तथा कार्यवाही हेतु प्रेषित।
21. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
22. जोनल मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल, म.प्र.।
23. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
24. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
27. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लि0, भोपाल ।
28. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।
29. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), भोपाल।
30. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।
31. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।
32. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र–एन.आई.सी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा उक्तानुसार पोर्टल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
33. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
34. शाखा प्रबंधक, नेफेड, इंदौर, म.प्र.।
35. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
36. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
37. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

15/3/19

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/बी-16-01/2019/14-2 भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु पूर्व जारी निर्देशों के क्रम उपार्जन अवधि 31.05.2019 तक किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1.विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.02.2019, 06.03.2019 एवं 15.03.2019

2.भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र F.No.L-15016/12/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019, पत्र F.No.L-15016/11/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019 एवं पत्र F.No.L-15016/13/2019-MPS दिनांक 20 फरवरी, 2019 जिनके माध्यम से चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन लक्ष्य प्रदान किए गए।

भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2019 व्दारा उपार्जन/खरीदी लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। योजनांतर्गत कृषकों के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन हेतु विभागीय समसंमख्यक पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2019 एवं 06 मार्च, 2019 आदेश जारी किए गए थे। भारत सरकार व्दारा चना, मसूर एवं सरसों का प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत उपार्जन 23 जून, 2019 तक किए जाने की उक्त संदर्भित पत्रों में सहमति दी गई है।

2/ उपरोक्त पत्रों के तदानुक्रम में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए आगामी कार्यवाही हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2019 जारी किया गया। जिसकी कंडिका क्रमांक 03 में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन, गेहूँ के उपार्जन की नियत अवधि दिनांक 25.03.2019 से 24.05.2019 तक किए जाने का लेख किया गया है। निर्वाचन के दिन तथा मतगणना के दिन उपार्जन बंद किए जाने का निर्णय पृथक से लिया जावेगा। इस कारण से प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन की अवधि भारत सरकार व्दारा 20.02.2019 को जारी परिपत्र में उपार्जन की अवधि की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए उपार्जन की अंतिम नियत दिनांक 24.05.2019 के स्थान पर दिनांक 31.05.2019 नियत की जाती है।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

29/3/19

(जितेन्द्र सिंह परिहार)
पदेन अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक / बी–16/01/2019/14–2
प्रतिलिपि –

भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2019

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल को मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाने हेतु प्रेषित ।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश जारी किए जाने तथा ई–उपार्जन पर आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रेषित।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, भोपाल को योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित ।
14. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल ।
15. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफेड, नई दिल्ली।
16. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
17. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
18. आयुक्त, भू–अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र.।
19. आयुक्त संस्थागत वित्त म.प्र. भोपाल।
20. संचालक, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने तथा कार्यवाही हेतु प्रेषित।
21. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
22. जोनल मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल, म.प्र.।
23. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
24. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
27. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लि0, भोपाल ।
28. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।
29. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), भोपाल।
30. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।
31. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।
32. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र–एन.आई.सी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा उक्तानुसार पोर्टल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
33. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
34. शाखा प्रबंधक, नेफेड, इंदौर, म.प्र.।
35. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
36. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
37. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

Mail 1939 29/3/19
AD (BB4)

29/3/19
पदेन अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

DD(BB4)

ADD (S) 834
30/03/19

1940
1/4/19

Scanned by CamScanner